ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-1 * ISSUE-10*JUNE-2014

# भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

**आरती वर्मा**
असि0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय,
कन्नौज

**सारांश**

किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति से परिलक्षित होती है। महिलाएँ समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। आने वाले कल को सुधरने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना ही होगा। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मेरा सभी भारतवासियों से विनम्र अनुरोध है कि हमें रूढ़िवादी मान्यताओं और परम्पराओं को छोड़कर प्रगतिशील विचारधारा को अपनाना ही चाहिए, इसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है।

**मुख्य शब्द :** सूचकांक, उपलब्धता, नार्यस्तु, परिलक्षित, अप्रत्याशित, आर्किटेक्चर, बहुप्रतीक्षित, रजिस्ट्रेशन,

**प्रस्तावना**

किसी भी देश के विकास सम्बंधी सूचकांक को निर्धारित करने के लिए उद्योग, व्यापार, खाद्य उपलब्धता, शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ–साथ उस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। नारी की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक है। भारतवर्ष में पौराणिक काल से ही सूत्र वाक्य ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवता'' मान्य रहा है। यह विचारणीय विषय है कि जहाँ एक ओर भारतवर्ष में लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, पार्वती के रूप में नारी को पूजनीय बताया गया है वहीं दूसरी ओर नारी को अबला बताकर परम्परा एवं रूढ़ियों की बेड़ी में भी जकड़ा गया है तथा नारी का विभिन्न स्तरों पर शोषण किया गया है, किया जाता रहा है, और शोषण हो रहा है। लेकिन इसमें कोई मत नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद से संविधान के नारी समर्थन वाले अनेकों प्रावधानों को पोषित करते हुए बनाये गये अनेकों कानूनों तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयासों के कारण आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। यही कारण है कि आज महिलायें देश की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से सहभागी बन रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सेवाओं, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग जैसे अनेकों क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। इतना ही नहीं कारपोरेट सेक्टर में जहाँ दो दशक पहले तक पुरुषों का ही वर्चस्व था वहाँ महिलायें न केवल अपने उच्च प्रबंधकीय क्षमता का प्रदर्शन कर रहीं बल्कि नेतृत्व भी कर रही हैं। इन्दिरा, नुई, चंदा कोचर, किरण मजूमदार, परमेश्वर गोदरेज, शहनाज हुसैन इत्यादि अनेकों महिलायें कारपोरेट सेक्टर में अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं। सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय महिलाओं के कदम अब पुरुषों की वैसाखी के मोहताज नहीं रहे।

**भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति**

सर्वप्रथम भारतवर्ष में राजा राम मोहन राय ने 1818 में सती प्रथा के विरूद्ध एक जनमत खड़ा करने का प्रयास किया। किन्तु 10 वर्ष तक अनवरत प्रयास के बाद 1829 में ब्रिटिश संसद द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला अधिनियम पारित किया गया। भारत में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में यह पहला प्रयास था।

महिलायें देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। देश के समग्र आर्थिक विकास में वे निर्धारक तत्व की भाँति महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पहली बार ''महिला सशक्तिकरण'' शब्द का प्रयोग किया गया। 1993 में बीजिंग में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पारित विधायिका में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण पर बल दिया गया। इस सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व सुश्री नजमा हेपतुल्ला ने किया था।

कुछ समय पहले वियतनाम की राजधानी हनोई में महिलाओं पर 18वाँ वैश्विक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें 72 देशों के लगभग 900 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की थीम वूमेन एण्ड एशिया– ड्राइविंग द ग्लोबल इकोनॉमी था। इस सम्मेलन की अध्यक्षा इरीन नतिविदाद ने अपने सम्बोधन में

कहा कि 21वीं सदी को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारण हैं– एशिया और महिलायें। अब बिजनेस का गुरुत्व पश्चिमी देशों से खिसक कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में चला आया है और इसका नेतृत्व चीन तथा भारत कर रहे हैं। इसे पुरुषों से महिलाओं की तरफ आर्थिक नियंत्रण का संरचनात्मक बदलाव कहेंगे।

**महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास**

मई 2008 में केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे उल्लेखनीय प्रयास करते हुए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में राज्यसभा, राज्यविधान परिषदों सहित सभी विधायी निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव प्रयास करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर 2007 में महिलाओं के लिए उज्ज्वला नामक योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं की खरीद–फरोख्त पर रोकथाम, व्यावसायिक तथा कार्यस्थल पर शोषण की शिकार हुई महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास तथा समाज की मुख्यधारा में उन्हें फिर से शामिल करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए केन्द्र, सरकार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को वही अधिकार दिया गया जो पुत्रों को प्राप्त है।

15 फरवरी 2006 को सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किये जाने का निर्देश देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम उठाया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 1992 को 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया। इस आयोग का उद्देश्य महिलाओं के सांवैधानिक व कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को उचित प्रकार से लागू करना है। इस आयोग को महिलाओं से सम्बन्धित सुझाव सरकार को देने का दायित्व सौंपा गया है।

**महिलाओं के स्वरोजगार हेतु सरकारी प्रयास**

राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के अगले वर्ष 1993 में ''राष्ट्रीय महिला कोष'' का गठन किया गया। इस कोष से स्वरोजगार हेतु प्रयासरत महिलाओं एवं महिला समूहों को ऋण दिया जाता है।

घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु एक विधेयक वर्ष 2005 के मानसून सत्र में पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक तथा आर्थिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा ''वर्ष 2001'' को ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' घोषित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में देश में पहली बार महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गयी इस नीति में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा महिला–पुरुष के भेदभाव को समाप्त करना तथा महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाना इत्यादि पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग द्वारा राज्य सरकारों, महिला प्रतिष्ठानों तथा विभिन्न कार्यालयों को महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

यह अत्यन्त गर्व की बात है कि आज भारतवर्ष के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर आदरणीय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल विराजमान हैं। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और वे पूर्ण कुशलता एवं दक्षता के साथ राष्ट्र के प्रति अपने सभी कार्यों का निर्वाह कर रही हैं।

भारतीय राजनीति और भारतवर्ष के लिए अत्यन्त गौरव का विषय है कि आज भारतीय महिलायें जैसे सोनिया गाँधी जी जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्र की उन्नति के प्रति अपने सभी कार्यों का संचालन पूर्ण दक्षता से कर रही हैं। यह सोनिया गाँधी ही थीं जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व भारत का प्रधानमंत्री बनने से इंकार किया तथा अपने स्थान पर मनमोहन सिंह जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सभी देशवासियों एवं सम्पूर्ण विश्व को यह संदेश दिया कि राष्ट्र और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि होता है तथा राष्ट्र एवं राष्ट्र हित की तुलना में निजी स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। उनके इस निर्णय की भारतवर्ष और समस्त विश्व में प्रशंसा हुई।

भारतीय राजनीति का एक और सशक्त उदाहरण उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनीं। मायावती जी ने विरोध, अपमान तथा कटुवचनों को सहन किया लेकिन सभी विरोध और अपमान को झेलते हुए भी वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने सम्पूर्ण जनसमुदाय के मध्य एक अत्यन्त साहसी और निडर महिला के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी। इनके दिशा निर्देशन में आज उ0प्र0 प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर भी एक भारतीय महिला माननीय शीला दीक्षित जी विराजमान हो चुकी हैं जो कि लगातार दो बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय राजनीति एवं समाज सेविकाओं में अम्बिका सोनी, वृंदा करात, नजमा हेपतुल्ला एवं मीरा कुमार का नाम उल्लेखनीय है। यह समूचे राष्ट्र के लिए अत्यंत सम्मान की बात है।

भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम का एक उदाहरण इंदिरा जयसिंह हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के प्रति भेदभाव मिटाने वाली संधि के लिये चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2009 से प्रारम्भ होकर अगले चार वर्ष तक का रहा है।

भारत में महिलाओं के योगदान और सशक्तिकरण की बात की जाये तब दो अत्यन्त गौरवशाली महिलाओं के नाम सामने आते हैं एक तो स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी हैं तथा दूसरा नाम है मदर टेरेसा का। इन्दिरा गाँधी भारतीय राजनीति का एक सशक्त नाम हमेशा से रही है। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण तथा सराहनीय कार्य किये और पूरे विश्व में भारतीय राजनीति का परचम लहराया तथा समस्त विश्व को यह संदेश दिया कि भारतीय महिलायें पूरी तरह से समर्थ और सशक्त हैं।

आज भारतीय महिलाओं ने सभी कार्य क्षेत्रों में अपने उच्च कोटि के कार्यों से यह सिद्ध कर दिया है कि वे कमजोर नहीं है तथा उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने ही चाहिए। फिर भी भारतीय महिलाओं के सन्दर्भ में कुछ ज्वलंत प्रश्न आज भी भारतीय समाज के समक्ष हैं और ये प्रश्न निम्न प्रकार हैं–

1. क्यों आज भी भारत में एक कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है?
2. क्यों आज भी भारत में कन्या को बोझ समझा जाता है?
3. क्यों आज भी भारत में जिन माता–पिता पिता की सन्तान सिर्फ लड़कियाँ होती हैं लड़का नहीं होता, उन्हें ताने दिये जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है और क्यों ऐसे माता–पिता को उनकी बेटियाँ होने के बाद बेऔलाद या निःसन्तान कह दिया जाता है?
4. क्यों आज भी भारत में लड़की के जन्म लेने पर शोक मनाया जाता है और कन्या को जन्म देने वाली माँ को मार दिया जाता है?
5. क्यों आज भी भारत में दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है?
6. आखिर क्यों विभिन्न स्तरों पर आज भी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है।
7. क्या एक लड़की होना अपराध अथवा गुनाह है?

आज ये सभी प्रश्न में भारतीय समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से तथा सभी जागरूक नागरिकों से कर रही हूँ जो कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए भी मौन बैठे हुए हैं–

**निष्कर्ष**

आखिर क्यों आज बुद्धिजीवी वर्ग महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखने के बाद भी उदासीन हैं? क्या आप एक 'महिला विहीन समाज' की कल्पना कर रहे हैं? अगर नहीं तब मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि महिलायें भी सम्मान की पूर्ण अधिकारी हैं, अतः उन्हें सम्मान देकर, कन्या–भ्रूण हत्याओं पर अंकुश लगाकर दहेज लोभियों का सामाजिक बहिष्कार कर एवं महिलाओं को शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित कर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभायें।

**संदर्भ सूची–**

1. अमर उजाला समाचार पत्र, 2014 पृ0 8 एवं 9
2. दैनिक जागरण 2014 पृ0 14
3. समसामयिक 2003, पृ0 44, 46
4. http/ciso.cpi.in
5. http/mic.nip.in